बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

विज्ञापन

कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों को वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रण

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में राज्य के कलाकारों की सहायता के लिए एक कल्याणकारी योजना **कलाकार कल्याण कोष** है। इस योजना के तहत् बिहार राज्य के कलाकारों से निम्न प्रावधानों तथा नियमों के तहत् वित्तीय सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

(क) चिकित्सा / इलाज हेतु सहायता अनुदानः–

1. बीमार अथवा घायल होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण–पत्र / गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिनकी शल्य चिकित्सा होनी है अथवा जिनका ऑपरेशन अद्यतन हुआ है, का प्राक्कलन सरकारी अस्पताल अथवा सी.जी एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन, विपत्र, प्रमाण–पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त कलाकार को संबंधित पंचायत के मुखिया या शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद का प्रमाण–पत्र देना होगा।

(ख) प्रदर्श कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः–

1. अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में निःशुल्क आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु प्रस्तुति के विभिन्न अवसरों के लिए सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों यथा–राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष कथक केन्द्र / कला केन्द्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च अध्ययन / शोध हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण / संस्थान में अध्यापन नामांकन का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदानः–

1) अंतर्राष्ट्रीय,राष्ट्रीय महत्व की कला प्रदर्शनियों मे आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु फीस / प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय आदि के रूप में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण एवं आयोजकों द्वारा किसी तरह का व्यय वहन नहीं किया जा सकता है, से संबंधित पत्र / प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2) देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में मास्टर्स डिग्री / शोध कार्य हेतु प्रतिभाशाली कलाकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। शोध एवं अध्ययन से संबंधित महाविद्यालय के संस्थान प्रमुख का प्रमाण एवं व्यय का प्राक्कलन अनिवार्य होगा।

3) राज्य से बाहर महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं, आधुनिक कला संग्रहालयों में कला प्रदर्शनी हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इस हेतु कला दीर्घा के आरक्षण का प्रमाण एवं प्राक्कलन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शर्त्ते :–

1. कलाकार को विहित प्रपत्र में तिथि सहित हस्ताक्षरित आवेदन (सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में) देना होगा एवं कलाकार की उपलब्धि (प्रमाण–पत्र एवं अन्य उपलब्धियों की छाया प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आवेदक आवेदन पत्र में वर्तमान पत्राचार पता और दूरभाष सं0, यदि हो, अंकित करें ताकि बैठक के पूर्व उन्हें सूचना दी जा सके। आवश्यकता होने पर आवेदक को समिति के समक्ष ससमय उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय सरकार द्वारा आवेदक को देय नहीं होगा।
3. सहायता अनुदान की स्वीकृति, गठित अनुदान समिति द्वारा दी जायेगी। अनुदान की राशि तय करना अनुदान समिति का क्षेत्राधिकार है। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. उदीयमान कलाकार, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं और जिनकी मासिक आय ₹ 5,000 /– से कम है, को चिकित्सा के अतिरिक्त उपस्कर, वाद्य यंत्र, कला सामग्री के क्रय हेतु समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
5. सरकारी कर्मी को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होगा।
6. आवेदकों को कोष से राशि की स्वीकृति उनका अधिकार नहीं माना जाएगा।

7. वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000/–रुपये मासिक से ज्यादा नहीं हो। तत्सम्बन्धी आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में ही देय होगा (आवेदन पत्र पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी/चिकित्सक के द्वारा सत्यापन कराकर दिये जाने से जांच में सुविधा/शीघ्रता होगी)।
9. कलाकार कल्याण कोष से चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल/अर्द्ध सरकारी अथवा सी.जी.एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन संलग्न करना अनिवार्य है।
10. अनुदान हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना–800015 के पते पर वर्षपर्यन्त भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यकतानुसार समय–समय पर समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे।
11. समिति की अगली बैठक **दिनांक–30 जून, 2018** तक प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु होगी। इसके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार आगामी बैठक में किया जायेगा। अपूर्ण तथा वांछित कागजात के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायगा।
12. उपर्युक्त अंकित, क, ख एवं ग' में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन को विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ अद्यतन आय प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित कागजात संलग्न करना है।
13. आवेदन के साथ विहित प्रपत्र के अनुरुप पूर्व पावती रसीद कलाकार द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है।
14. **इस योजना के तहत अनुदान/वित्तीय सहायता मात्र एकबार और एकमुश्त प्रदान की जाएगी।**

31/5/18

(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना

–:विहित प्रपत्र:–

1. आवेदक का नाम :– (हिन्दी में)–
   (साफ अक्षरों में) (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में)–
2. पिता का नाम :–
3. पूरा डाक पता (पिन कोड सहित) :–
4. स्थायी पता :–
5. दूरभाष सं0 / मोबाईल सं0 :–(1) ....(2) ....
6. जन्म तिथि :–
   (दस्तावेज सबूत सहित)
7. वर्तमान व्यवसाय / नियोक्ता के नाम एवं पूरा पता :–
8. कलाकार / विधा, जिसमें भाग लिया था / है :–
9. कलाकार परिणाम / उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ):–

कलाकार / विधा	वर्ष	स्थान	उत्सव / महोत्सव का नाम	प्राप्त स्थान	अभियुक्ति

कृपया सभी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करने से सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करे।

10. परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य जिसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित है
11. अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि।
12. पूर्व में विभाग से प्राप्त अनुदान का ब्योरा :–
13. आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय :–
14. अन्य स्रोतों से यदि इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता ली गयी हो, तो सहायता राशि सहित ब्योरा अपेक्षित है।
15. कलाकार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) एवं खाता संख्या, IFSC CODE, बैंक एवं शाखा का नाम के साथ

दिनांक :– आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

स्थान :– नाम